उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या:133/2024/1147जे0/22-5-2024-1200(09)/2017

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-37280/सामा-1(3)/195/मानसिक बंदी/2024, दिनांक 09-12-2024 द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे केन्द्रीय कारागार, बरेली वापस भेज दिया जाये।

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

संख्या-133/2024/1147जे0(1)/22-5-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 09-112-2024 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**

2. जिलाधिकारी, बरेली।

3. पुलिस अधीक्षक, बरेली।

4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in